

न्यायमूर्ति के., सी. पुरी,

मेसर्स एम. ई. एच. आई. ए. क्रेडिट @लीजिंग कंपनी-याचिकाकर्ता

बनाम

डी. ई. आर. ए. जे. डी. यू. ए.-प्रतिवादी

सी. आर. ए. नं. 2006 की धारा 1102-एस. बी. ए. 23 अप्रैल, 2013 ए. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-एस, 138-भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932-धारा। 69-शिकायत खारिज करने के विरुद्ध अपील-शिकायतकर्ता-फर्म पंजीकृत नहीं होने के कारण शिकायत खारिज-धारा 69 भागीदारी अधिनियम आपराधिक कार्यवाही पर लागू नहीं-भागीदारी अधिनियम की धारा 69 सिविल सूट स्थापित करने के अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार तक सीमित है और 1881 अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत के संबंध में लागू नहीं है-अपील क्षेत्र को स्वीकार किया गया है, कि निचली अदालत द्वारा शिकायत को खारिज करने का पहला आधार यह है कि रवि मेहता, जिन्होंने खुद को फर्म मेसर्स मेहता क्रेडिट एंड लीजिंग कंपनी का भागीदार होने का दावा किया है, ने सबूत पेश नहीं किया है कि मेसर्स मेहता क्रेडिट एंड लीजिंग कंपनी एक पंजीकृत फर्म है और श्री रवि मेहता इसके भागीदारों में से एक हैं। इस न्यायालय ने प्राधिकरण मेसर्स कैपिटल लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी बनाम नवरत्न जैन में 2005 (4) आरसीआर (आपराधिक) में पैरा संख्या.27 में पृष्ठ 330 पर "27 के तहत रिपोर्ट की। आसानी से शिकायतकर्ता के पास धारा 138N.I.Act के संदर्भ में एक वैधानिक दावा है। अन्यथा भी साझेदारी अधिनियम की धारा 69 एक अपंजीकृत फर्म द्वारा मुकदमा या अन्य कार्यवाहियां स्थापित करके एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार के प्रवर्तन तक ही सीमित है। आपराधिक शिकायत जो दायर की गई है, उसे अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमा या अन्य कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, दायर की गई आपराधिक शिकायत पर कोई रोक नहीं है और फर्म का गैर-विनियामक वर्ग इस आधार पर किसी आरोपी के अभियोजन को नहीं रोकेगा कि फर्म पंजीकृत नहीं थी।

(Para 9)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त विनिश्चय को केवल पढ़ने से यह पता चलता है कि भागीदारी अधिनियम की धारा 69 सिविल वाद स्थापित करने के अनुबंध से उद्भूत अधिकार तक सीमित है और उक्त उपबंध अधिनियम की धारा 138 के अधीन शिकायत के संबंध में लागू नहीं है। इसलिए, निचली अदालत के उक्त निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया गया है।

(Para 10)

B. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-दंड प्रक्रिया संहिता 1973-धारा 357(3) - क्षतिपूर्ति-अभियुक्त को सजा सुनाई गई/मुआवजा और जुर्माना और मुकदमे की लागत जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसमें चूक में छह महीने के आरजे से गुजरना होगा, - बिना किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारावास - पिछले 11 वर्षों से लंबित शिकायतें - शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार की गई, जो अब सजा की मात्रा में वापस आ गई है। प्राधिकरण एम/एस। कैपिटल लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी की आसानी (उपर्युक्त) पर सजा की मात्रा के संबंध में भरोसा किया जा सकता है। उस आसानी में, रुपये के चेक का अनादर हुआ। 1,00,000/- और मामला 12 वर्ष पुराना है और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कारावास उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं करेगा। आरोपी को Rs.5000/- का जुर्माना देने और रु। 1,00,000/- धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत मुआवजे के रूप में। उक्त सहजता में।

(Para 17)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त निर्णय के अनुपात के आधार पर अभियुक्त को रुपये की राशि का भुगतान करने की सजा दी जाती है। धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 1,50,000/-। और आरोपी को आगे आपराधिक अपील नं। 2006.7 की धारा 1102 एस. बी. ए. जुर्माना और मुकदमे की लागत के रूप में Rs.50,000/- जमा करने के लिए। उक्त राशि आज से दो महीने के भीतर निचली अदालत में जमा की जाए। उक्त राशि की प्राप्ति पर रु। 1,50,000/- का भुगतान शिकायतकर्ता को Cr.P.C की धारा 357 (3) के तहत मुआवजे के रूप में किया जाएगा। और शेष राशि को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में माना

जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट जुर्माने और मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर, आज से दो महीने के भीतर, अभियुक्त-प्रतिवादी को छह महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा।

(पैरा 18) संदीप कोटला, अधिवक्ता/या याचिकाकर्ता।

विवेक खत्री, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

K.C. पुरी, जे। (1) मेसर्स मेहता क्रेडिट एंड लीजिंग कंपनी-शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार द्वारा पारित 23.12.2002 के फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील का निर्देश दिया है, जिसमें

शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

(2) वर्तमान सहजता आर्क के संक्षिप्त तथ्य कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ 10.5.2002 को प्रोनोट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ वित्त लेने के लिए प्रवेश किया। इसके बाद टीटीटीसी के आरोपी ने 11.11.2003 को एक लाख रुपये का चेक जारी किया। 1,42,000/- उनके खाते में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पुंड्री पर निकाले गए। विचाराधीन चेक को शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यूको बैंक को विधिवत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आपराधिक अपील सं. 2006.2 की धारा 1102 एसबीए को "दराज़ का संदर्भ लें" कारणों के लिए अवैतनिक प्राप्त किया गया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रुपये की उक्त राशि की मांग जारी की। 1,42,000/- दिनांक 16.12.2003 को पंजीकृत विधिक सूचना देकर और शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त सूचना विधिवत भेजी गई। इसके बावजूद अभियुक्त-प्रत्यर्थी भुगतान करने में विफल रहा इसलिए शिकायत की गई।

(3) प्रारंभिक साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.3.2004 के आदेश द्वारा अभियुक्त-प्रत्यर्थी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (संक्षेप में-ए. सी. एल.) के अधीन विचारण के लिए समन करने का आदेश दिया।

(4) विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर, अभियुक्त को दिनांक 20.10.2004 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप का नोटिस दिया गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने रवि मेहता से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की और कुछ दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया।

(5) शिकायतकर्ता द्वारा साक्ष्य को बंद करने पर, धारा 313 Cr.P.C के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया था और उन्होंने शिकायत में उल्लिखित आरोपों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही का अनुरोध किया।

(6) पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया और अभियुक्त को दिनांक 23.12.2002 के निर्णय द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

(7) दिनांक 23.12.2002 के पूर्वोक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर, वर्तमान अपील शिकायतकर्ता द्वारा निर्देशित की गई है।

(8) 1 पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के अभिलेखों को देखा है। आपराधिक अपील नं. 2006 का एस. 1102 एस. बी. ए.

(9) निचली अदालत द्वारा शिकायत को खारिज करने का पहला आधार यह है कि रवि मेहता, जिन्होंने खुद को मेसर्स मेहता क्रेडिट एंड लीजिंग कंपनी फर्म का भागीदार होने का दावा किया है, ने यह सबूत पेश नहीं किया है कि मेसर्स मेहता क्रेडिट एंड लीजिंग कंपनी एक पंजीकृत फर्म है और श्री रवि मेहता इसके भागीदारों में से एक हैं। इस न्यायालय ने प्राधिकरण मेसर्स कैपिटल लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी बनाम नवरत्न जैन (जे) में पैरा संख्या. 27 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- "27. हाथ में मामले में शिकायतकर्ता धारा 138N. अधिनियम के संदर्भ में एक वैधानिक दावा है। अन्यथा भी साझेदारी अधिनियम की धारा 69 एक अपंजीकृत फर्म द्वारा मुकदमा या अन्य कार्यवाहियां स्थापित करके एक अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार के प्रवर्तन तक ही सीमित है। 'दायर की गई आपराधिक शिकायत को अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए मुकदमा या अन्य कार्यवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है। 4हेयर टोरे। दायर की गई आपराधिक शिकायत पर कोई रोक नहीं है और फर्म का गैर-पंजीकरण इस आधार पर किसी अभियुक्त के अभियोजन को नहीं रोकेगा कि फर्म पंजीकृत नहीं थी।

(10) उक्त निर्णय को पढ़ने से यह पता चलता है कि भागीदारी अधिनियम की धारा 69 सिविल वाद स्थापित करने के अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार तक सीमित है और उक्त प्रावधान अधिनियम की धारा 138 के तहत

शिकायत के संबंध में लागू नहीं होता है। इसलिए, निचली अदालत के उक्त निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया गया है।

(11) शिकायत को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि उच्चारण एक्स। पी-1 आपराधिक अपील सं. के अनुसार साबित नहीं हुआ है। 2006 के कानून की धारा 1102 एस. बी. ए. विद्वत विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की दृष्टि खो दी है कि शिकायतकर्ता का दावा पदोन्नति पूर्व के संबंध में नहीं था। पी-1. सर्वनाम Ex. पी-1 को केवल यह साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के खिलाफ कानूनी दायित्व है। अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने विचाराधीन चेक पर हस्ताक्षर के तथ्य पर विवाद नहीं किया है, लेकिन एक रुख अपनाया है जिसमें कहा गया है कि चेक संदीप कुमार को दिया गया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत एक धारणा है कि परक्राम्य विचार के लिए है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। मैं इस संबंध में के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अधिकार से और मजबूत हूँ।

(11) शिकायत को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि उच्चारण एक्स। पी-1 आपराधिक अपील सं. के अनुसार साबित नहीं हुआ है। 2006 के कानून की धारा 1102 एस. बी. ए. विद्वत विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की दृष्टि खो दी है कि शिकायतकर्ता का दावा पदोन्नति पूर्व के संबंध में नहीं था। पी-1. सर्वनाम Ex. पी-1 को केवल यह साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के खिलाफ कानूनी दायित्व है। अभियुक्त/प्रत्यर्थी ने चेक पर हस्ताक्षर के तथ्य पर विवाद नहीं किया है, लेकिन यह रुख अपनाया है कि चेक संदीप कुमार को दिया गया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत एक धारणा है कि परक्राम्य विचार के लिए है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। मैं इस संबंध में के. भास्करन बनाम शंकरन वैद्यन बालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अधिकार से और मजबूत हूँ।

(12) देयता को साबित करने का प्रारंभिक बोझ शिकायतकर्ता पर था और उसने अपना बयान देकर और Ex.P-1 का उत्पादन करके अपने दायित्व का निर्वहन किया है। यह जिम्मेदारी उस आरोपी पर डाल दी गई है जिसने कहा था कि चेक विचार के लिए नहीं था। अभियुक्त द्वारा इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है कि उक्त चेक बिना विचार के था।

(13) विद्वत विचारण न्यायालय ने उस प्रभाव को बहुत महत्व दिया है जो अलग-अलग स्याही में लिखा जाता है और इस कारण यह माना जा सकता है कि यह एक खाली चेक था। निचली अदालत द्वारा दिया गया दूसरा तर्क यह है कि संदीप कुमार, जो सर्वनाम का गवाह है, को पेश नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता के मामले को खारिज करने के लिए ये आधार कारण की अपील नहीं करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय P.S.A. थोमोथरन बनाम डालमिया सीमेंट (बी) लिमिटेड (3) एफ ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त चेक और देय राशि पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि चेक का मुख्य भाग आपराधिक अपील सं. 2006 की धारा 1102 एस. बी. ए. अभियुक्त की लिखावट। यह आगे निर्धारित किया गया था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके लिए यह आवश्यक हो कि चेक का मुख्य भाग भी चेक के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखा जाना चाहिए। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान लगाया जाना चाहिए या नहीं। वर्तमान सहजता में, शिकायत दर्ज करने से पहले मृत आरोपी को नोटिस जारी किया गया है जो Ex.P5 के रूप में साबित हुआ है। अभियुक्त द्वारा अस्वीकार की गई टिप्पणियों के साथ उक्त नोटिस वापस कर दिया गया था। अतः यह माना जाएगा कि उक्त नोटिस अभियुक्त को दिया गया है। 'मुझे अभियुक्त को अपीलार्थी द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस से इनकार नहीं करना चाहिए था।

(14) जहाँ तक अधिकार की बात है। 7av <sup>1</sup>/<sub>2</sub> बनाम ग्लेडिससासी (4) अभियुक्त के वकील द्वारा भरोसा किया गया प्रत्यर्थी चिंतित है कि कानून के उक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षरकर्ता का प्रवेश चेक के प्रवेश के बराबर नहीं है। हालांकि, उस आसानी के तथ्यों को अलग किया जा सकता है क्योंकि उस मामले में चेक को अंगूठे से चिह्नित किया गया था और शिकायतकर्ता ने अपनी उपस्थिति में उक्त चेक के निष्पादन को साबित नहीं किया है। तो, उपरोक्त प्राधिकरण जोसेफ का मामला (ऊपर) अलग है। प्राधिकरण जोसे वर्सिस P.C.

जॉय (5) को अलग किया जा सकता है क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोपी के निर्देश के बिना अपना नाम दर्ज किया है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई दावा नहीं है।

(15) इसमें कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय के समक्ष, दलीलों के दौरान अभियुक्त ने यह रुख अपनाया है कि चेक संदीप कुमार के पक्ष में जारी किया गया था, लेकिन धारा आपराधिक अपील सं. S. 1102 SBA of 2006.313 of H.C.P.C., अभियुक्त ने यह स्टैंड नहीं लिया है कि चेक संदीप कुमार के पक्ष में जारी किया गया था। इसलिए, निचली अदालत ने आरोपी के मामले से आगे की यात्रा की है। अभियुक्त ने बस अपने खिलाफ किए गए दावों का खंडन किया है। मुकदमे के दौरान या Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उनके द्वारा कोई विशिष्ट रुख नहीं लिया गया है।

(16) संदीप कुमार का निर्माण नहीं करने के लिए बहुत वजन दिया गया है। अभियुक्त का मामला था कि संदीप कुमार के पक्ष में चेक जारी किया गया था। आरोपी शिकायतकर्ता के मामले को गलत साबित करने के लिए संदीप कुमार को पेश कर सकता था कि चेक संदीप कुमार के पक्ष में जारी किया गया था, न कि शिकायतकर्ता के पक्ष में। शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक और कानूनी नोटिस प्रस्तुत किया है और कोई खंडन साक्ष्य गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य (एम. जयपाल, जे.) नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अपील स्वीकार कर ली जाती है, अर्थात् निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 13.8 के तहत दोषी ठहराया गया है।

(17) अब वाक्य की मात्रा पर लौटते हैं। प्राधिकरण मेसर्स कैपिटल लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के मामले (उपर्युक्त) पर सजा की मात्रा के संबंध में भरोसा किया जा सकता है। उस मामले में, रुपये के चेक का अनादर किया गया था। 1,00,000/- और मामला 12 वर्ष पुराना है और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कारावास उपयोगी प्रयोजन की पूर्ति नहीं करेगा। आरोपी को Rs.5000/- का जुर्माना देने और रु। 1,00,000/- धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत मुआवजे के रूप में। उक्त मामले में।

(18) इसलिए, उक्त निर्णय के अनुपात के आधार पर, अभियुक्त को रुपये की राशि का भुगतान करने की सजा सुनाई जाती है। धारा 357 (3) Cr.P.C के तहत मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता को 1,50,000/-। और आरोपी को आगे आपराधिक अपील नं। 2006 की धारा 1102 एस. बी. ए. जुर्माने और मुकदमे की लागत के रूप में Rs.50,000/- जमा करने के लिए। उक्त राशि आज से दो महीने के भीतर निचली अदालत में जमा की जाए। उक्त राशि की प्राप्ति पर रु। 1,50,000/- का भुगतान शिकायतकर्ता को Cr.P.C की धारा 357 (3) के तहत मुआवजे के रूप में किया जाएगा। और शेष राशि को मुकदमेबाजी की लागत के रूप में माना जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट जुर्माने और मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर, आज से दो महीने के भीतर, अभियुक्त प्रतिवादी को छह महीने के कठोर कारावास से गुजरना होगा।

(19) इस निर्णय की एक प्रति सख्त अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पीयूष चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा

